

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारसीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/ 9887

प्रार्थीगण

बनाम

दिनांक - 16.12.25

अप्रार्थीगण

1 लुणाराम पुत्र बींजाराम वगैराह  
जाति माली निवासी लालाणियो की  
ढाणी बाडमेर आगोर वर्तमान शास्त्री  
नगर बाडमेर।

1 बाबूराम पुत्र समाराम माली निवासी  
शिवकर तहसील बाडमेर जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :-346/2025

दिनांक- 26/11/2025

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा लालाणियो की ढाणी पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 841 रकबा 0.9793 हैक्टेयर, खसरा संख्या 847 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी  
उप खण्ड अधिकारी  
बाडमेर  
बाडमेर

दिनांक- 16.12.25

क्रमांक :- रीडर/2025/9888-91

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बाडमेर आगोर तहसील बाडमेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण लुणाराम पुत्र बींजाराम वगैराह जाति माली निवासी लालाणियो की ढाणी बाडमेर आगोर वर्तमान शास्त्री नगर बाडमेर।
4. विप्रार्थीगण बाबूराम पुत्र समाराम माली निवासी शिवकर तहसील बाडमेर जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,  
बाडमेर  
बाडमेर